कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक(कक्ष भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्रमांक/एफ-11/सम./10-11/284 भोपाल, दिनांक: 28-1-2011

प्रति:-

समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय)

मध्य प्रदेश।

विषय:- वन(संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 1 हेक्टेयर से कम के प्रकरणों के संबंध में।

सन्दर्भ:- म.प्र. शासन, वन विभाग का ज्ञाप क्रमांक 2285/5-11/06/103 दिनांक 21-10-2009

राज्य शासन द्वारा विभिन्न जनोपयोगी प्रकरणों में 1 हेक्टेयर से कम वन भूमि व्यपवर्तन के अधिकार क्षेत्रीय वनमण्डलाधिकारियों को प्रदत्त किये गये हैं। उक्त अधिकारों के अन्तर्गत जारी स्वीकृतियों में विभिन्न कमियाँ/अनियमितताएँ देखी जा रही हैं जिनके निराकरण हेतु निम्नानुसारनिर्देश दिये जाते हैं :-

1. प्रत्येक स्वीकृति में शासन द्वारा लगाई गई विभिन्न शर्तों का अनिवार्य रूप से उल्लेख होना चाहिये।
2. स्वीकृति की सहमति देने से पूर्व आप यह सुनिश्चित करेंगे कि वन भूमि की आवश्यकता न्यूनतम होने तथा वांछित विकास कार्यो की आवश्यकता वहां पर होने का वनमण्डलाधिकारी द्वारा प्रमाणीकरण कर लिया गया है। साथ ही वांछित वन क्षेत्र में कोई दुर्लभ, संकटापन्न अथवा विशिष्ट प्रजातियाँ नहीं पाई जाती एवं जैव विविधता संरक्षण/वन्य प्राणी प्रबंधन की दृष्टि से उक्त क्षेत्र का व्यपवर्तन करने में कोई कठिनाई नहीं है, यह भी सुनिश्चित कर लिया जावे।
3. प्रत्येक स्वीकृति में व्यपवर्तित वन क्षेत्र के अक्षांश एवं देशांश (Coordinates) का उल्लेख किया जावेगा एवं स्वीकृति की वनमंडल के एरिया रजिस्टर में इन्द्राज कर स्वीकृति पत्र में उल्लेख किया जावेगा कि <u>"व्यपवर्तित वन क्षेत्र का विवरण एरिया रजिस्टर के पृष्ठ क्रमांक .... पर दिया गया है।"</u> एरिया रजिस्टर में इस प्रयोजन हेतु वनखण्ड कक्ष क्रमांक, व्यपवर्तित वन भूमि का क्षेत्रफल उसके अक्षांश/ देशांश, एजेन्सी का नाम जिसे भूमि दी गई, विकास कार्य का नाम, काटे गये वृक्षों की संख्या, काटे गए वृक्षों के एवज में लगाये गए (दुगने) वृक्षों की प्रजाति, संख्या एवं स्थान, स्वीकृति आदेश का क्रमांक एवं दिनांक कॉलम बनाये जावेंगे।
4. अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3(2) के अन्तर्गत विभिन्न विकास कार्यों/ जन सुविधाओं के लिये ग्राम सभा की सिफारिश पर 1 हेक्टेयर से कम वन भूमि के व्यपवर्तन के अधिकार वनमंडलाधिकारी क्षेत्रीय को प्रत्यायोजित किये गये हैं। इन अधिकारों के तहत् जारी स्वीकृतियों को भी एरिया रजिस्टर में पृथक से दर्ज किया जावेगा एवं स्वीकृति आदेश में एरिया रजिस्टर के पृष्ठ एवं व्यपवर्तित वन क्षेत्र के अक्षांश/ देशांश का उल्लेख अनिवार्य रूप से किया जावेगा। इस अधिनियम के तहत् यद्यपि राज्य शासन द्वारा मुख्य वन संरक्षक की सहमति लिया जाना आवश्यक नहीं किया गया है परंन्तु निर्धारित प्रक्रियाओं के क्षेत्र में क्रियान्वयन में एकरूपता

एवं प्रशासकीय नियंत्रण की दृष्टि से इस अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त होने वाले प्रकरणों का भी स्वीकृति से पूर्व आप अवलोकन अवश्य कर लिया करें।

5. अधिकारों के प्रत्यायोजन से अब तक जारी समस्त स्वीकृतियों की प्रविष्टी उपरोक्तानुसार एरिया रजिस्टर में की जाकर उसकी पुष्टि प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना एवं वन भू-अभिलेख) को प्रेषित करें एवं भविष्य में उपरोक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।

(रमेश के. दवे)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

मध्य प्रदेश

पृ.क्रमांक/एफ-11/सम./10-11/285 भोपाल, दिनांक 28-1-2011

प्रतिलिपि :-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना एवं वन भू-अधिलेख) मध्यप्रदेश भोपाल
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) मध्यप्रदेश भोपाल
3. समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक मुख्यालय (वृत्त प्रभारी)

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
मध्य प्रदेश